

**झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग**

अधिसूचना

राँची

दिनांक :- 13-1-14

अधि.सं.-01/स्था.(स्थाना./पद.)-11-23/2013-249/दिनांक 20.12.2013 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के निम्नलिखित अधीक्षण अभियंता(असैनिक) (चालू प्रभार) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में अंकित वर्तमान पद एवं स्थान से स्थानान्तरित करते हुए उसी रूप में स्तम्भ-04 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

क्रमांक	नाम/आई.डी./ गृह जिला/ जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री शिवलाल राम(अ.जा.) 3862/वैशाली/10.11.62	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) जलपथ अंचल, गुमला	सचिव (प्रावै.), मुख्य अभियंता, ईचा गालूडीह काम्पलेक्स, आदित्यपुर जमशेदपुर	
2.	श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह 1957/पटना/17.11.54	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) सुवर्णरेखा बॉध अंचल, चांडिल	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) के रूप में सेवा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को	
3.	श्री परमेश्वर प्रसाद सिंह (अ.ज.जा.)/4454/ भागलपुर/11.10.70	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	अधीक्षण अभियंता(चा.प्र.) जलपथ अंचल, गुमला	स्वा.चि.शि.एवं परि. कल्याण विभाग से सेवा वापस लेते हुए

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :-

249

राँची, दिनांक :-

शुक्रवार
13/1/14

13-1-14

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी.डी.सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

249

राँची, दिनांक :-

शुक्रवार
13/1/14

13-1-14

प्रतिलिपि :-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),झारखण्ड राँची/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची/सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची/प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड राँची/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड राँची/सचिव, नगर विकास विभाग,झारखण्ड, राँची/प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि.,राँची/प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/

अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/सभी मुख्य अभियंता/प्रबन्ध निदेशक, झालको, राँची/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब, 7यो, एवं 8ए, 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित अधीक्षण अभियंता अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 7 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे।

3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वर्णित पदाधिकारियों का माह जनवरी 2014 का वेतन भुगतान नव पदस्थापित पद के विरुद्ध ही करेंगे।

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव (प्र.)

राजेश
13/1/14